दिनांक 27/01/2026

बकाया कर न चुकाने वालों पर नगर निगम भिलाई सख्त, कुर्की दल ने की ₹2.11 लाख से अधिक की वसूली

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार, निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और लंबे समय से लंबित करों की वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाया गया है। इसी कड़ी में पांचों जोन कार्यालयों के लिए विशेष कुर्की दल का गठन किया गया है, जो सक्रिय रूप से बकायादारों से संपर्क कर वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं। कुर्की दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायादारों से कुल ₹2,11,738.00 की लंबित कर राशि वसूल कर निगम कोष में जमा कराई है। यह कार्रवाई उन स्वामियों के विरुद्ध की गई जिन्होंने बार–बार सूचना दिए जाने के बाद भी करों का भुगतान नहीं किया था। नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में समाचार पत्रों, डोर–टू–डोर संपर्क और मुनादी के माध्यम से भूमि व भवन स्वामियों को लंबित करों के भुगतान के लिए निरंतर सूचित किया जा रहा है। शासन के नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा न करने पर अधिभार लगाया जाता है। निगम द्वारा बार–बार प्रेरित किए जाने के बावजूद भुगतान न करने वालों के विरुद्ध अब कुर्की वारंट के आधार पर मौके पर ही वसूली की जा रही है। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अप्रिय कुर्की की कार्रवाई और अतिरिक्त अधिभार से बचने के लिए अपने लंबित करों का भुगतान जल्द से जल्द निगम कार्यालय में करें। निगम की विकास योजनाओं को गति देने और वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करों का समय पर भुगतान अनिवार्य है।